राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812,
ई–मेल :– pcpndt-rj@nic.in

बेटी बचाओ
Save the girl Child

क्रमांक : रा0पी0प्र0 / स्वा0 प्रबं0 / SSB Meeting / 2018 / 138 दिनांक : 09/02/18

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 31.01.2018 को प्रातः 11.00 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक पदेन अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्री श्री कालीचरण सर्राफ महो0 के निर्देशानुसार आरएचएसडीपी हॉल, निदेशालय स्वास्थ्य भवन जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य सम्बन्धित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं शासन सचिव (प0क0) महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक के एजेण्डा आइटम का सक्षिप्त ब्योरा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा प्रत्येक एजेण्डा आईटम पर चर्चा करके सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की दिनांक 04.10.2017 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।
2. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा अधिनियम की पालना एवं प्रभावी क्रियान्विती के लिये किये जा रहे कार्यों कि जानकारी देते हुए बताया की राज्य में अधिनियमानुसार राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं राज्य सलाहकार समिति का गठन पूर्ण है एवं बैठक नियमित अन्तराल पर आयोजित की जा रही है।
3. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने पीसीपीएनडीटी अधिनियमानुसार राज्य में किये जा रहे पंजीकृत केन्द्रों के निरीक्षणों की जानकारी से बोर्ड को अवगत करते हुए निरीक्षणों में वर्ष दर वर्ष आ रही वृद्धि से भी अवगत कराया गया। जिलों में समुचित प्राधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों की समिक्षा की गयी। माननीय अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड महोदय ने जिन जिलों में सोनोग्राफी केन्द्रों के निरीक्षण अनुपात में कम है से समुचित प्राधिकारी वार रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिये गये।
4. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा किये जा रहे डिकॉय ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया की राज्य में अब तक कुल 103 डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके हैं वर्ष 2017 में पिछली बैठक से अब तक 14 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके हैं जिसमें से 7 अन्तर्राज्यीय डिकॉय ऑपरेशन उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं नई दिल्ली में किये गये हैं। अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया की राज्य में गत एक वर्ष में 42 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये गए हैं।

5. अध्यक्ष समुचित प्राधिकारी महोदय ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में भ्रूण लिंग परिक्षण में सक्षम किसी उपस्कर को पंजीकृत किये जाने के क्रम में सोनोग्राफी मशीन के आयातकर्ता, निर्माता कम्पनियों, डीलरों, सप्लायरों इत्यादि को पंजीकृत किये जाने हेतु बनाये जाने वाले नियमों को माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा साथ ही अवगत कराया कि पंजीकरण से प्राप्त राशि का उपयोग पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं डॉटर्स ऑर प्रिशियस कार्यक्रम के साथ अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के लिए किया जायेंगा। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगणों ने अपनी अनुशंषा प्रदान करते हुए अपनी सहमति प्रदान की।

6. राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने माननीय बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया कि पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा डिकॉय कार्यवाहियां, आसूचना संकलन एवं अन्य राज्य कार्य किये जाते है जिसके लिए राज्य एवं राज्य से बाहर के राज्यों में आना–जाना होता है। पिछले वर्ष भी प्रकोष्ठ द्वारा 42 डिकॉय कार्यवाहियां की गई जिनमें से 17 अंतर्राज्यीय डिकॉय कार्यवाहियां है। इन कार्यों में पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में आवंटित संविदा वाहन/टैक्सी वाहन 1500 कि0मी0 प्रतिमाह से अधिक चलता है। साथ ही डिकॉय कार्यवाहियों के लिए प्रतिदिन के आधार पर भी वाहन किराये पर लेने पड़ते हैं। इस पर माननीय अध्यक्ष महो. एवं सदस्यगणों द्वारा पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में आवंटित संविदा वाहनों/टैक्सी वाहन को 1500 कि0मी0 प्रतिमाह से अधिक चलने की स्वीकृति दिये जाने एवं प्रतिदिन के आधार पर भी वाहन किराये पर लेने की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

7. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु की जा रही डिकॉय कार्यवाहियों से लिंग परिक्षण/कन्या भ्रूण हत्या में लिप्त चिकित्सकों/दलालों इत्यादि में भय का वातावरण राज्य में बनना बताया एवं इसके परिमाणस्वरूप राज्य की गर्भवती महिलाओं द्वारा सीमावर्ती राज्यों के जिलों में जाकर लिंग परीक्षण हेतु सोनोग्राफी दलालों के माध्यम से कि जा रही बतायी इस पर माननीय मंत्री एवं अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं सदस्यों द्वारा इन डिकॉय कार्यवाहियों की सराहना करते हुए सीमावर्ती राज्यों से सटे जिलों के पीसीटीएस के आंकडों के परीक्षण करवाकर इन जिलों की गर्भवती महिलाओं पर निगरानी रखने एवं इन जिलों के दलालों की लाईन लिस्टीगं जिला समन्यक पीसीपीएनडीटी से करवाने के निर्देश दिये एवं इस कार्य हेतु बैठक में उपस्थित समस्त जिला समन्वयकों को निर्देशित किया गया एवं पीसीटीएस आंकडों के परीक्षण के लिए पीसीटीएस सॉफ्टवेयर की जानकारी हेतु समन्वयकों को प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश भी प्रदान किये गये।

2

8. बैठक में जिला समन्वयकों ने पंजीकृत केन्द्रों द्वारा अधिनियमानुसार जमा किये जा रहे प्रत्येक माह के फॉर्म 'एफ' को सुरक्षित रखे जाने की समस्या से अवगत कराते हुए बताया की जिलों में इन फॉर्मों को रखने हेतु स्थान का अभाव है साथ ही जिन केन्द्रों पर परिवाद लम्बित नहीं है उन केन्द्रों के फॉर्म 'एफ' को संधारित किये जाने का कोई उपयोग भी नहीं है। इस पर माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मती से इस विषय पर विचार विमर्श कर अपनी विधिक राय देने हेतु परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी की अध्यक्षता में राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ के सहायक निदेशक अभियोजन, विधिक सलाहकार एनएचएम एवं विधिक सहालकार पीसीपीएनडीटी को सम्मलित करते हुए एक कमेंटी बनाये जाने एवं कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये।

(नवीन जैन)
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
शासन सचिव (प0क0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :–

A

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। **(Email :- sahealthminister@gmail.com)**
2. निजी सचिव, अति0 प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमति चन्द्रकान्ता मेघवाल (माननीय विधायक, रामगंजमण्डी, कोटा), बी–13, एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर, मोबाईल नं. 9413350111, 9414286045
4. श्रीमति संजना आगरी,(माननीय विधायक, सोजत, पाली), 2/4 विधायक नगर (पश्चिम) जयपुर मोबाइल नं0 9928371601, 9829088165।
5. श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक बांदीकुई, दौसा, मोबाईल नं. 9414077990
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। **(Email :- ph-sje@rajasthan.gov.in)**
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर। **(Email :- secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com)**
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
12. डॉ0 नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी–8, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414238226। **(E-mail:-neetapatni@gmail.com)**
13. श्री कानसिंह राठौड, विधि विशेषज्ञ, बी–140, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414123444
14. श्रीमती सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, 3–जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर मोबाइल न0 9829363672 **(Email :- seemadaya3@gmail.com)**

15. श्रीमती मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 107—यूनिक सांधी अपार्टमेंट, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर मोबाइल न0 9829394789 **(E-mail:- manjusharmabjp@gmail.com)**
16. डॉ0 सुमन मेहंदी रत्ता, महिला रोग विशेषज्ञ, 4—YA-20, जवाहर नगर, जयपुर मोबाइल न0 9829057336 **(E-mail:- drsumanmittal@gmail.com)**
17. डॉ0 मृदुल गहलोत, महिला रोग विशेषज्ञ, 2 आकांक्षा गहलोत बंगला, अजमेर रोड, जयपुर मोबाइल न0 9414044445 **(Email :- drmridulgehlot@yahoo.com)**
18. डॉ0 तरूण पाटनी, अनुवांशिकी विज्ञानी, 119—केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर मोबाइल न0 9829216070 **(Email :- drtarunpatni@hotmail.com)**
19. डॉ0 सुषमा शर्मा, आनुवांशिकी विज्ञानी, पी—60, राज आंगन एनआरआई कॉलोनी, प्रतापनगर, जयपुर मोबाइल न0 9571106777
20. डॉ0 सतीश जैन, रेडियोलॉजिस्ट, 28—95, भार्गव पथ, मानसरोवर, जयपुर मोबाइल न0 9314285434 **(Email :- drskjain007@gmail.com)**
21. डॉ0 भोपाल सिंह भाटी, सोनोलॉजिस्ट, चम्बल रेजिडेंसी सिविल लाइन्स, सीएमएचओ कार्यालय के सामने, नयापुरा, कोटा मोबाइल न0 9461515147 **(E-mail:-gopal.bhati.gb@gmail.com)**
22. डॉ0 आर.के. गुप्ता, राजस्थान मेडिकल सेन्टर, रेडियोलॉजिस्ट, जोधपुर।
23. डॉ0 अनिता गोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सी—201 उन्नति रेजिडेन्सी सेक्टर—1 विद्याधर नगर जयपुर।
24. डॉ0 रिमी शेखावत, सामाजिक कार्यकर्ता, मरूधर हॉस्पिटल खातीपुरा, जयपुर।
25. श्री राकेश वर्मा, मीडिया सदस्य, 27 बरकत नगर टोंक फाटक, जयपुर।

B

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं शासन सचिव (प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

C

1. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं निदेशक (आईईसी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।
4. निदेशक **(SIHFW)**, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

D

1. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं उप निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी पीबीआई/प्रभारी अपराध शाखा/विधि विशेषज्ञ राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/सलाहकार आईईसी/सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान को पालनार्थ।
5. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
एवं उप निदेशक (आरसीएच),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर।